

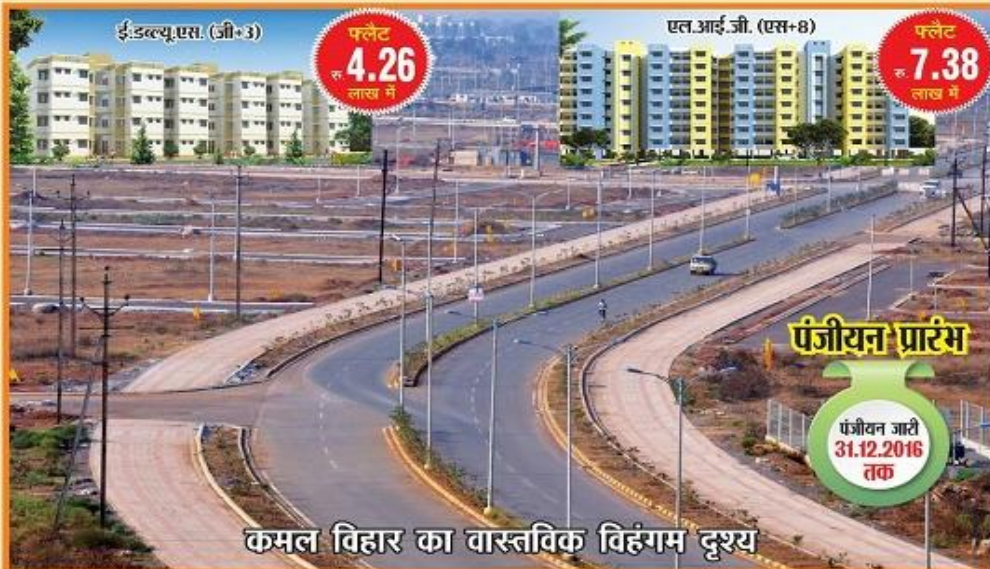


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cgghb.gov.in

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विश्वस्तरीय तकनीक से निर्मित

कमल विहार आवासीय योजना, रायपुर



ई.डब्ल्यू.एस. (जी+3)

फ्लैट
रु. 4.26
लाख में

एल.आई.जी. (एस+8)

फ्लैट
रु. 7.38
लाख में

पंजीयन प्रारंभ

पंजीयन जारी
31.12.2016
तक

कमल विहार का वास्तविक विहंगम दृश्य

383.08 वर्ग फीट

आवेदन पत्र के साथ रु. 25000/- राशि जमा करनी होगी

617.83 वर्ग फीट

आवेदन पत्र के साथ रु. 50000/- राशि जमा करनी होगी

सम्पर्क - समस्त संपदा अधिकारी / कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल

9424230975, 9827926359, 9406125193, 9754670535, 9926887809, 9827487076, 9424209041

स्मार्ट सिटी कमल विहार रायपुर में शहर से निकटतम माडर्न तकनीक से विकसित कालोनी में फ्लैट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर



टोल फ्री नं.
1800 200 6313

फ्लैट के प्रकार	अनुमानित मूल्य	केन्द्रीय अनुदान	अनुदान प्राप्त मूल्य
ई.डब्ल्यू.एस.	5.76 लाख	1.50 लाख	4.26 लाख
एल.आई.जी.	9.38 लाख	रु. 6.00 लाख आवास लोन में 6.5 लाख का अनुदान लगभग 2.00 लाख	7.38 लाख

विशेषताएँ -

- फ्लैट्स का निर्माण विश्वस्तरीय मौनोलेथिक पद्धति द्वारा
- एयरपोर्ट, थोक बाजार, प्रमुख हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक संस्थानों के समीप
- क्लोस्ड सुरक्षित कैम्पस एवं कॉमन एरिया में 24 घंटे बिजली, पानी की सुविधा
- बोर्डे मुख्य मार्ग, सर्विस रोड, स्ट्रीट रोड एवं रायपुर शहर से निकटतम व्यवस्थित कालोनी
- भूमिगत सीवरेंज, भूमिगत वाह्य विद्युतीकरण एवं पूर्ण हरियालीयुक्त वातावरण

राशन की छानमारी आवास योजना अर्थात् योजना है, जिसके अंतर्गत सभी अन्य आय एवं कमाई के अलावा वगैरह के तहत को विद्यमान दरों पर आवास उपलब्ध होगा। साथ ही सब केन्द लक्ष्य राशन खान की ओर से अनुदान भी प्राप्त होगा। आशा है कि इस योजना का लाभ लेने ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकेंगे।

राजेश मृगत

माननीय मंत्री, आवास एवं परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन

छानमारी आवास योजना अंतर्गत कमजोर आय वर्ग हेतु 1.5 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान तथा निम्न एवं कमजोर आय वर्ग हेतु 6.5 प्रतिशत ब्याज दर में अनुदान है। इन जनकल्याणकारी प्रयत्नों में आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़वासियों को प्राप्त होगा।

भूपेन्द्र रावजी

माननीय अध्यक्ष (राज्य मंत्री दलों) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cgghb.gov.in



सबके लिए
आवास



टोल फ्री नम्बर
1800 200 6313

हमारा प्रयास
सबके लिए आवास

24 घंटे
में आवंटन

पहले आओ - पहले पाओ

आवंटन लॉटरी नहीं स्वेच्छा आधार पर

मण्डल की समस्त अन्य योजनाओं में पंजीयन राशि 10%

ई.डब्ल्यू.एस. 25000/- एल.आई.जी. 50000/-

मण्डल की समस्त योजनाओं में पंजीयन पश्चात्
राशि जमा करें 60 दिवस में

मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं

विशेष छूट

13%

ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. हेतु

12%

एल.आई.जी. / एम.आई.जी. हेतु

ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. - 10 (10 + 3) 13%
एल.आई.जी. / एम.आई.जी. - 10 (10 + 2) 12%

* 60 दिवस में पूर्ण राशि जमा करने पर

* 60 दिवस पश्चात् पूर्ण राशि जमा करने पर 10% छूट

मण्डल की समस्त योजनाओं
में पंजीयन राशि

पहले आओ
पहले पाओ
आवंटन लॉटरी नहीं स्वेच्छा आधार पर
पर 24 घंटे में

पंजीयन पश्चात्
राशि जमा करें
60 दिवस में

ई.डब्ल्यू.एस. हेतु

रु. 25000/-

एल.आई.जी. हेतु

रु. 50000/-

अन्य भवनों के लिए

पंजीयन राशि 10%

प्रधानमंत्री आवास योजना,
नया रायपुर, मुख्यमंत्री आवास योजना

एल.आई.जी. केन्द्र

केन्द्र केन्द्र प्रयुक्त
रु. 3.00 लाख तक
रु. 3.00 लाख से 6.00 लाख तक
रु. 6.00 लाख से 1.00 लाख तक
रु. 1.00 लाख से 6.50 लाख तक

क्रेय करने हेतु पात्रता

ई.डब्ल्यू.एस. केन्द्र केन्द्र प्रयुक्त
रु. 3.00 लाख तक
रु. 3.00 लाख से 6.00 लाख तक
रु. 6.00 लाख से 1.00 लाख तक
रु. 1.00 लाख से 6.50 लाख तक

प्रधानमंत्री आवास योजना
में पंजीयन राशि

ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रु. 15000

एल.आई.जी. रु. 30000



माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चहुमुखी विकास एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही आवास के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। रोटी, कपड़ा एवं मकान में से एक, मकान उपलब्ध कराने का दायित्व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को दिया गया है। आशा है इस आवास क्रांति के माध्यम से आवासहीनों को छत मुहैया कराने का सपना साकार होगा।

राजेश मृगत
माननीय मंत्री,
आवास एवं परिवहन,
लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सभी आय वर्ग के लोगों को उनकी आवासीय जरूरत एवं सहूलियतों के अनुसार आवासीय योजनाएँ क्रियान्वित कर, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ उन्हें स्वयं का घर उपलब्ध करा रहा है। मण्डल द्वारा क्रियान्वित योजनाएँ निश्चित ही लोगों को स्वयं का घर उपलब्ध कराने में मील का पथर साबित होगी।

भूपेन्द्र रावजी
माननीय अध्यक्ष,
(राज्य मंत्री दलों)
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

सम्पर्क सूत्र - समस्त संपदा अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल